

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़ 312001; Ph&Fax : 01472-294001; email : dcf.chltor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2019 -20/ 8149

दिनांक : 10/19

निमित्त,

अधिकाधी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
खण्ड चित्तौड़गढ़

विषय :- अमृत योजना के अंतर्गत शहरी जल योजना चित्तौड़गढ़ के फोरेस्ट क्लीयरेंस प्रस्ताव के संबंध में।


प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक अअ./खचि/2019-20/1529 दिनांक 9.8.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का परीक्षण किया जाने पर यह पाया गया कि आपके द्वारा पाईप लाईन हेतु वन क्षेत्र में 1 मीटर की चौड़ाई में आने वाले वन क्षेत्र की ही गणना की गई।

यह स्पष्ट करे कि क्या पाईपलाइन डालने की प्रक्रिया के दौरान मशीनों यथा एस्कोवेटर, क्रेन आदि के उपयोग हेतु 1 मीटर की चौड़ाई से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः यह स्पष्ट करे एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे की पाईप लाईन डाले जाने वाले क्षेत्र में 1 मीटर चौड़ाई से अधिक क्षेत्र में वनस्पतियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।


(शशि शंकर)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़